

15.5.24

वकील प्राधिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिंगल से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शां पठ किया गया। वकील प्राधिया ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादिया ऐव प्रतिवादीगण के मह्य राजीनामा ले गया है जिससे वादिया हस्तगत प्रार्थनापत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चालती है। अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर स्वारीज फरमाया जावे। मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, न्यायहित में प्रार्थना को स्वीकार किया गया। वादिया ऐव प्रतिवादीगण के मह्य आपसी राजीनामा ले चुका है। वादिया अब प्रतिवादीगण के विरुद्ध उच्चरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चालती है। प्राधिया द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चालने से प्रार्थना इसी स्टेज पर स्वारीज किया जाता है। दिनांक 19-7-17 को जारी अर्बाई सिधेधाका स्वारीज की जाती है। पत्रावली के सब शुमार होकर नम्वर से कम है।

अमृत कर्कर

दि.
15/5/24

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अमृत कर्कर

